सरकार के साथ साझेदारी : श्रवण-बाधित बच्चों के लिए विशेष शिक्षा के स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करना : असम से एक केस स्टडी

बृन्दा कृष्णा



केवल बहादुरों में साहस है धूसर के बारे में सोचने का-
आसानी से न समझाई जा सकने वाली बातों के बारे में सोचने का,
अक्सर ग़लतियों को उपजाने वाली बातों के बारे में सोचने का,
उन चीज़ों के बारे में सोचने का जिनके कारण को समझा नहीं जा सकता
उन चीज़ों के बारे में सोचने का जिन्हें हमें स्वीकार करके उनके साथ रहना चाहिए
और इसलिए केवल बहादुरों में बिना नज़रें चुराए अन्तर को देखने की हिम्मत है।

- रिचर्ड एच. हंगरफोर्ड

परिचय

मैं दुनिया के कई हिस्सों में विकलांगता के क्षेत्र में पेशेवर तौर पर काम करती रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि मैं हमेशा अपनी इस समझ और स्वीकार्यता के स्तर पर सवाल उठाती रहती हूँ कि एक विकलांग व्यक्ति का जीवन कैसा होता होगा। उस माँ को कैसा लगता होगा जिसने एक स्वस्थ बच्चे की आशा की होगी, लेकिन उसके विपरीत वह एक विकलांग बच्चे को जन्म देती है, ये ऐसे सत्य हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई और 'ज्ञान और विशेषज्ञता' प्राप्त करने के मेरे 'अनुभवों' में वृद्धि हुई है, मैं इस बारे में और अधिक जागरूक और आश्वस्त होती जा रही हूँ कि मैं वाकई कितना कम जानती हूँ, कितनी जल्दी मेरे अन्दर का पेशेवर यह निष्कर्ष निकाल लेता है अच्छे और बुरे अभ्यास क्या हैं, हम कितनी आसानी से श्रेष्ठता की भावनाओं का शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे जवाब हैं।

इस दर्शन और विचारधारा ने मेरे कार्यों और वाणी नामक संस्था में हमारे कार्य करने के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। जब हम श्रवण-बाधित बच्चे, माता-पिता, एक ग़ैर-सरकारी संगठन, या सरकार के साथ साझेदारी पर विचार करते हैं तो हम यह मानते हैं कि यह रिश्ता बनाने से पहले जो बात बहुत ज़रूरी है वह यह है कि हमें सबकी बात सुननी चाहिए, आपसी विश्वास का निर्माण करना चाहिए और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना चाहिए। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इन्हीं बातों ने हमारे अधिकांश कार्यों को सफल और स्थायी बनाया है। तभी ये कार्य पूरी तरह से आवश्यकताओं पर आधारित हो पाते हैं।

आप शायद पूछ सकते हैं कि इसका असम में सरकार के साथ साझेदारी में केस स्टडी करने के साथ क्या सम्बन्ध है। तो जवाब यह है कि सम्मान और दूसरों की बात सुनने के सचेत दृष्टिकोण के कारण ही असम सरकार के साथ हमारी साझेदारी सफल हुई है। कई सालों से मिलकर काम करने के बाद, विभाग हमारे कार्यों के बारे में इतने आश्वस्त हैं कि वे अब हमारे साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत हम केवल कुछ आवश्यक तकनीकी इनपुट देंगे और वे खुद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।

पृष्ठभूमि

बधिर बच्चों के लिए फ़ाउंडेशन वाणी की स्थापना 2005 में हुई थी और यह भारत का पहला राष्ट्रीय ग़ैर-सरकारी संगठन है जो केवल बचपन की बधिरता के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करता है। वाणी ऐसी समग्र सेवाएँ प्रदान करता है जो श्रवण-बाधित बच्चों की सामाजिक, भावनात्मक, संचार, भाषा विकास और शैक्षिक आवश्यकताओं को सम्बोधित करता है। यह परिवारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अपने श्रवण-बाधित बच्चों के साथ बातचीत करें और उन्हें समझने का प्रयास करें। उनकी सभी ज़रूरतों का समर्थन करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ, जिसमें सरकारों और सेवा प्रदाताओं से उनके अधिकारों की वकालत करना भी शामिल है।

नवम्बर 2002 में बाल-बधिरता के मुद्दों पर किए गए व्यवहार्यता अध्ययन की सिफ़ारिशों के कारण वाणी की उत्पत्ति हुई। राष्ट्रीय स्तर का यह अध्ययन पूरी तरह से सहभागी तरीक़े से आयोजित किया गया था। शोधकर्ताओं ने देश भर के श्रवण-बाधित बच्चों के परिवारों, बच्चों, सरकार और ग़ैर-सरकारी एजेंसियों के पेशेवरों के साथ मुलाकात की। पिछले 10 वर्षों में हुए अध्ययन के निष्कर्ष और हमारे काम से पता चलता है कि जो लोग श्रवण-बाध्यता के साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि माता-पिता और वयस्क तथा श्रवण-बाधित युवा, वे सभी यही कहते हैं कि न सुन पाने के इस पूरे मुद्दे के बारे में जागरूकता और

समझ बनाने की आवश्यकता है। बधिरता का क्या अर्थ है, यह कैसे होती है, जल्द ही इस पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है, सम्प्रेषण की समस्याएँ आदि आदि। इसके अलावा ऐसे माता-पिता की संख्या भी कम है जो अपने बच्चों के पक्ष में जनमत तैयार करने में पर्याप्त सक्षम हों; फिर समर्थन समूहों की कमी, इस विषय के बारे में जानकारी की कमी तथा ऐसे लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों की कमी जैसी कई बातें हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि ये सारी बातें श्रवण-बाधित लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं जिसकी वजह से वे अपने जीवन की कमान ख़ुद नहीं सम्हाल पाते।

भारत में शिशुओं में पाई जाने वाली बधिरता के आँकड़े चौंकाने वाले हैं। देश में हर 1000 जीवित बच्चों में से 5.6-10 को जन्मजात बधिरता प्रभावित करती है (भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल)। इसमें उन बच्चों की संख्या शामिल नहीं है जो प्रसव के बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता के कारणों से बधिर हो जाते हैं। श्रवण-बाध्यता के साथ पैदा हुए बच्चे अपने आस-पास की दुनिया का बोध कर पाने या स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। वे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बातें नहीं कर सकते, अपने आस-पास के लोगों को समझ नहीं सकते और अपने शिक्षकों से सीख नहीं सकते हैं। वे पूरी तरह से अलग-थलग रहते हैं और हमारी शोरगुल से भरी दुनिया में ख़ामोशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं।



वाणी श्रवण-बाधित बच्चों और उनके परिवारों के जीवन में भाषा और सम्प्रेषण लाने की दिशा में काम करती है और साथ ही उनके सामाजिक और भावनात्मक कल्याण के मुद्दों को भी सम्बोधित करती है।

वाणी में सुनने में कठिनाई का अनुभव करने वाले बच्चों को बोलना सिखाया जाता है। उनके परिवारों को उन्हें समझने और उनकी सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते। इसलिए वार्षिक और तिमाही लक्ष्यों के साथ उस विशिष्ट बच्चे के सम्प्रेषण, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना (आईईपी) तैयार की जाती है। हर बच्चे के लिए बधिरों के एक



पेशेवर शिक्षक (टीओडी) होते हैं। टीओडी सप्ताह में एक बार बच्चे और उसके माता-पिता से एक घण्टे के लिए मिलते हैं। माता-पिता की उपस्थिति शिक्षण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है, ताकि काम आगे बढ़ाया जा सके और घर पर अभ्यास कराया जा सके।

सप्ताह के बाकी दिनों में बच्चे को सामान्य स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह मुख्यधारा का हिस्सा बना रहे और अन्य बच्चों के साथ मिल-जुल सके। सामान्य विद्यालय के शिक्षकों को अपनी कक्षा में श्रवण-बाधित बच्चे को सम्हालने और बेहतर बनाने के तरीक़ों के बारे में कौशल-प्रशिक्षण दिया जाता है।

साझेदारी में काम करना

इस बात पर हमारा दृढ़ विश्वास है कि वास्तविक परिवर्तन और प्रभाव केवल तभी सम्भव है जब हम अपने कार्यक्रमों को सरकार की मौजूदा योजनाओं और स्कीमों के साथ जोड़ें। फिर चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार। उनके पास साधन और पहुँच है। इसलिए अगर हम स्थायी और दूरगामी बदलाव चाहते हैं तो सरकार के साथ साझेदारी में काम करना ही संगत तरीक़ा है।

अक्टूबर 2007 से वाणी असम में सक्रिय रूप से काम कर रही है। अपने काम के पिछले दस वर्षों में हमने यह महसूस किया कि श्रवण-बाधित बच्चों के जीवन में उनके माता-पिता की पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए और साथ ही श्रवण-बाधित शिशुओं और छोटे बच्चों की पहचान और प्रारम्भिक हस्तक्षेप जल्दी ही करना चाहिए।

जो बच्चे जन्म से ही सुनने में असमर्थ हैं या जिन्हें कम सुनाई देता है, उनकी पहचान जितनी जल्दी हो सके, उतना बेहतर।

इससे यह बात सुनिश्चित हो सकेगी कि उनके परिवारों को इस समस्या से सम्बन्धित ज्ञान, समझ और संसाधनों की जानकारी है या नहीं जिनकी मदद से उनके बच्चे मौखिक और/या दृश्य प्रतीक भाषा अपना सकें तथा अपनी आयु के उपयुक्त संचार, संज्ञानात्मक, अकादमिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास कर सकें। जो बच्चा सुन सकता है वह अपने आस-पास की बातचीत और भाषा को सुनता है तथा उसका उपयोग करके संचार के कौशलों को अपनाता है। किन्तु श्रवण-बाधित बच्चे के लिए यह सम्भव नहीं है। चूँकि वह सुन नहीं सकता अतः वह भाषा सीख ही नहीं पाता और उसके पास भाषा सीखने का कोई तरीक़ा नहीं होता। बहुत छोटे श्रवण-बाधित बच्चे के वास्तविक संचार व शैक्षिक आवश्यकताओं और घर पर या प्रारम्भिक प्री-स्कूल कार्यक्रम में उनके लिए उपलब्ध सीखने के अवसरों के बीच काफ़ी अन्तर है। इसलिए शुरुआती हस्तक्षेप कार्यक्रमों की बेहद ज़रूरत है क्योंकि इससे बच्चे के जन्म से ही उचित शिक्षा व समझ, प्री-स्कूल कौशल व भावनात्मक बन्धन प्रदान किए जा सकेंगे जिससे भविष्य में एक सुस्थिर वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।

हमने महसूस किया कि अगर हमें पहले से ही मौजूदा कार्यक्रमों के साथ जुड़ना है तो इसके लिए पहला क़दम यह होगा कि उपयुक्त सरकारी विभागों में हमारे काम की प्रकृति के बारे में सकारात्मक व सद्भावपूर्ण तरीक़े से जागरूकता पैदा की जाए और उनका विश्वास प्राप्त करके उनके साथ सकारात्मक सम्बन्ध बनाए जाएँ।

असम रणनीति

चूँकि वाणी श्रवण-बाधित बच्चों को शिक्षित करने का काम करती है, इसलिए हमने 2007 में असम में एसएसए (शिक्षा विभाग) से बात की।

- धीरे-धीरे, कई बार और बार-बार बातचीत करने के बाद एसएसए के कार्यकर्ताओं ने बचपन में बधिरता की जटिलताओं को समझना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए वाणी द्वारा आयोजित एक सेमिनार में एसएसए के निदेशक ने पहली बार महसूस किया कि बिना इयर मोल्ड के हियरिंग एड का प्रयोग करने से किसी बच्चे को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता।
- जब अधिकारी आश्वस्त हो गए तो वाणी ने एसएसए के स्वयंसेवकों और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और 2010 में यह संस्था एसएसए के लिए श्रवण-बाधा से सम्बन्धित सभी मुद्दों के लिए राज्य संसाधन संगठन बन गई। हमें जल्द ही एहसास हुआ कि एसएसए के माध्यम से हमारी सेवाएँ 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक नहीं पहुँच पाईं।
- अगला क़दम था आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवा) विभाग-सामाजिक कल्याण विभाग से सम्पर्क करना। इस बार यह काम आसान रहा क्योंकि हम पहले ही शिक्षा विभाग से जुड़ चुके थे। इस बीच हमने श्रवण-बाधित बच्चों की स्थिति के बारे एक राज्य-व्यापी अध्ययन किया, जिसमें विशेष रूप से असम पर ध्यान दिया गया। असम में बधिर बच्चों की स्थिति नामक सेमिनार के बाद हमें सफलता मिली। इसमें इस अध्ययन के परिणाम साझा किए गए थे तथा जिसमें सामाजिक कल्याण विभाग को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और 2011 में यह निर्णय लिया गया कि वाणी के साथ कार्य को आगे बढ़ाया जाए।
- 2012 में वाणी को सामाजिक कल्याण विभाग, असम की राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का सदस्य मान लिया गया।
- इसके बाद निरन्तर नेटवर्किंग के साथ और अन्ततः निर्णय को मंज़ूरी देने के लिए सरकार को आश्वस्त करने के बाद 2014 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

‘वाणी का कार्य एक प्रोत्साहक है। इस परियोजना में श्रवण-बाधित बच्चों की पहचान सबसे महत्त्वपूर्ण है और यह महत्त्वपूर्ण है कि एडब्लूडब्ल्यू को पता चले कि इसे कैसे किया जाए। सभी एडब्लूडब्ल्यू को इस प्रकार की पहचान करने में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि और अधिक प्रामाणिक डेटा संग्रह में मदद मिले’ (अनिल फुकन, एमआईएस प्रभारी, सामाजिक कल्याण विभाग)

- श्रवण-बाधा को लेकर जो नकारात्मक भाव थे, वे दूर होने लगे थे। अब और अधिक लोग संकेत भाषा (साइन लैंग्वेज) का उपयोग करना सीखना चाहते थे।

शुरू में हमने तीन ज़िलों में एक पायलट अध्ययन करने का फैसला किया। इस परियोजना का उद्देश्य तीन साल की अवधि में कामरूप, नलबारी और नागाँव ज़िलों के ब्लॉक में 26 उपग्रह केन्द्र स्थापित करना और गुवाहाटी में एक राज्य नोडल संसाधन केन्द्र को मज़बूत करना था जो असम के भीतर बचपन में श्रवण हानि से सम्बन्धित समस्याओं को सम्बोधित करने में सभी प्रकार की सेवाएँ, सूचना, संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान करेगा। चूँकि भाषा एक बड़ी समस्या है, इसलिए हमारी सभी शिक्षण-अधिगम सामग्री स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई गई थी।

राज्य नोडल संसाधन केन्द्र

- संचार, भाषा और साक्षरता कौशल विकसित करने और इसके प्रभाव को मापने के लिए छोटे (6-0 वर्ष) श्रवण-

बाधित बच्चों के विकास के लिए शुरुआती हस्तक्षेप सेवाएँ प्रदान करने वाले एक आदर्श सर्वोत्तम अभ्यास के निरूपण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

- एक ऐसा शोध केन्द्र बनेगा जो ग्रामीण समुदायों और ऐसे समुदायों के लिए उचित अभिनव शिक्षण तकनीकों और सामग्री को विकसित करने के लिए शोध करेगा जिन तक ये चीज़ें पहुँच नहीं पातीं।
- माता-पिता के लिए मित्रतापूर्ण केन्द्र होगा जो बाल श्रवण-बाधित बच्चों के माता-पिता या देखभाल करने वालों को आवश्यकतानुसार समर्थन देगा। जैसे परामर्श और मार्गदर्शन सम्बन्धी सेवाएँ देना और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- उम्र में कुछ बड़े श्रवण-बाधित बच्चों को शैक्षिक सहायता प्रदान करेगा ताकि उन्हें मुख्यधारा की उचित कक्षाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे शिक्षा के वैकल्पिक तरीक़ों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सके।

पहले और दूसरे वर्ष में हमने श्रवण-बाधित बच्चों को पहचानने और ब्लॉक सदन केन्द्रों में केन्द्र-आधारित सेवाओं की शुरुआत करने पर ध्यान दिया। ब्लॉक सदन केन्द्र वास्तव में आँगनवाड़ी केन्द्र थे जो पहले से ही अस्तित्व में थे। हमने उनके भवनों का उपयोग किया और अपने शिक्षण को उन गतिविधियों के साथ जोड़ा जो पहले से ही चल रही थीं। ये केन्द्र लोकप्रिय होने लगे क्योंकि सदन केन्द्र में आने वाले सभी बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। इसका कारण यह था कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिला था। वे शुरुआती पहचान करने में व प्रारम्भिक प्रोत्साहन देने में कुशलता प्राप्त कर चुके थे और शिक्षकों जितने ही सक्षम बन गए थे। छब्बीस केन्द्र ज़रूरी साधनों से लैस थे और कार्य करने लगे थे तथा अधिकांश आँगनवाड़ी कार्यकर्ता इन केन्द्रों के प्रभारी थे जो बच्चों के माता-पिता के साथ होने वाले सत्रों के दौरान वाणी टीम की सहायता करते थे। तीसरे वर्ष में माता-पिता और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से लीडरों को चुनने का काम शुरू हुआ जो ब्लॉक के भावी संसाधक होंगे।

प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लेने से पहले आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से 2 प्रतिशत कार्यकर्ताओं को इस बारे में 20 प्रतिशत से भी कम ज्ञान था। कार्यशालाओं में भाग लेने के बाद 75 प्रतिशत प्रतिभागियों का श्रवण-बाधा से सम्बन्धित ज्ञान 70 प्रतिशत से अधिक हो गया।

जहाँ तक माता-पिता की बात है तो पहले 10 प्रतिशत माता-पिता का बधिरता और संचार कौशल के बारे में ज्ञान 20 प्रतिशत से भी कम था। कार्यशालाओं में भाग लेने के बाद श्रवण-बाधा और संचार कौशल के बारे में 85 प्रतिशत माता-पिता के ज्ञान के स्तर में 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

एडब्ल्यूसी के दौरे से पता चला कि माता-पिता इन गतिविधियों में भाग लेने लग गए थे। वे केन्द्रों में नियमित रूप से आने में भी दिलचस्पी दिखाने लगे थे। उनका मानना था कि इस प्रकार के शिक्षण से माता-पिता और बच्चे के बीच संचार में सुधार हुआ था। सभी माताओं ने देखा कि उनके बच्चे की समझने की शक्ति में सुधार हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की समझ और लेखन कौशल में काफ़ी प्रगति देखी। ऐसा उन्होंने तब नहीं देखा था जब ये बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ने जा रहे थे। एसएसए के साथ वाणी के काम करने का अप्रत्यक्ष प्रभाव यह था कि ब्लॉक स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों को भी वाणी के प्रशिक्षकों द्वारा सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया जा रहा था और अब वे सामान्य स्कूल के शिक्षकों को सक्रिय रूप से यह कौशल प्रदान कर पा रहे थे।

ज़िला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सम्बन्धों को मज़बूत करना आवश्यक था और इसके लिए यह ज़रूरी था कि उन्हें न केवल 'अच्छी' उपलब्धियों में शामिल करें बल्कि उनके साथ चुनौतियों को भी ईमानदारी के साथ साझा करें। साथ ही उन्हें अपने विचारों और सोच को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें। उनके बढ़ते सहयोग के साथ, हम धीरे-धीरे परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो रहे थे।

आज एसएसए और सामाजिक कल्याण विभाग 26 सदन केन्द्रों में वाणी के तकनीकी समर्थन के साथ कार्य को जारी रखने की रणनीतियों की पहचान करने और परियोजना को अन्य ज़िलों में आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं।

महत्त्वपूर्ण सीख

- अन्य सामान्य लोगों की तरह ही सरकारी अधिकारियों को भी बड़ी विनम्रतापूर्वक, धैर्यपूर्वक और लगातार विभिन्न मुद्दों पर शिक्षित करने की आवश्यकता थी। आमतौर पर सरकारी अधिकारी 'एनजीओ' जैसे संगठनों से चौकस ही रहते हैं। उनके साथ विरोधी जैसे नहीं वरन सहयोगियों के रूप में रिश्ता बनाने की ज़रूरत होती है, और जो काम हो रहा है उसे लेकर उनके मन में स्वत्व की भावना विकसित करने में उनकी सहायता करनी चाहिए।
- सरकारी कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण को लेकर प्रतिक्रिया अच्छी रही क्योंकि प्रशिक्षुओं ने इसे अपने व्यक्तिगत कौशल के विकास और संवर्धन के रूप में देखा और खुद को ऐसे पेशेवरों के रूप में देखना शुरू कर दिया जो योजना के कार्यक्रम तैयार करना, कम समय लेने वाली संक्षिप्त रिपोर्ट लिखना, सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना और लेखा ज्ञान जैसे कौशलों में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं।

- जो कार्य किया जाए उसका सक्रिय सबूत होना चाहिए। जिन 28 सदन केन्द्रों को विकसित किया गया वे पहले से ही मौजूदा आँगनवाड़ी केन्द्रों में ऐसा करते थे। वाणी ने इन केन्द्रों को आवश्यक शिक्षण-अधिगम सामग्री से लैस किया, जिससे न केवल श्रवण-बाधित बच्चों को लाभ हुआ, बल्कि वे बच्चे भी लाभान्वित हुए जो इन केन्द्रों में आए थे। राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना से यह बात सामने आई कि वे अच्छा कार्य-निष्पादन कर सकते हैं और इन केन्द्रों की वजह से सरकारी अधिकारी वास्तविक लाभार्थियों के सम्पर्क में आ पाते थे।
- सरकार के साथ काम करते समय अक्सर कई अन्य विभागों/मंत्रालयों के साथ भी सम्पर्क करना होता है जो अक्सर साथ में काम करने के आदी नहीं होते। अतः सहयोग और समन्वय पर ध्यान केन्द्रित करना महत्त्वपूर्ण होता है। इसका एक उदाहरण संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) की बैठक है, जहाँ सभी स्तरों के लोगों जैसे ज़िला आयुक्त, नोडल अधिकारी और एसएसए शिक्षकों ने भाग लिया। इससे यह बात सुनिश्चित हुई कि योजनाएँ साथ मिलकर बनाई गईं और सभी सदस्य जानते थे कि उनके ज़िम्मे कौन-सा काम है और उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं।
- सरकार के साथ सम्पर्क करने के लिए मानव संसाधन आवंटित करने का एक सचेत प्रयास होना चाहिए। जो लोग अधिकारियों को अपना समझते हैं, वे उनके समुदायों में से चुने जाते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, उनसे उन्हें डर नहीं लगता या वे उन्हें मित्रवत मानते हैं। सच पूछा जाए तो हमारी सभी प्रशिक्षण सामग्री और पोस्टर का स्थानीय भाषा में होना इन मान्यताओं को मज़बूत करता है।
- सरकारी कर्मचारी जब कोई अतिरिक्त कार्य करते हैं तो उसके लिए उन्हें मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। उनके आने-जाने का ख़र्चा या उनके काम को मान्यता देने के लिए छोटी-सी धनराशि या पुरस्कार देना अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बहुत ही मामूली राशि का भुगतान किया जाता है और अक्सर उनका अधिकांश भत्ता उनके आने-जाने में ही ख़र्च हो जाता है।
- हमने जो सबसे बड़ा सबक़ सीखा वह शायद यह था कि सरकार के साथ काम करना एक दीर्घकालिक वचनबद्धता है और काम करने की गति तथा प्राथमिकता सम्बन्धी मतभेदों के बारे में सोचना और उन्हें प्रबन्धित करना बहुत आवश्यक है।
- हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब पुराने अधिकारियों की जगह नए अधिकारी आए और हमें फिर से उन्हें शिक्षित करना शुरू करना पड़ा। पर हमने यह भी देखा कि अपनी बैठकों में सभी स्तरों के लोगों को शामिल करने और जागरूकता बढ़ाने के सत्रों के कारण सीखने की प्रक्रिया और निरन्तरता बनी रही।

निष्कर्ष

यह ध्यान में रखना महत्त्वपूर्ण है कि सरकारी अधिकारी अन्य लोगों से अलग नहीं हैं और हम सभी इन्सान हैं, हमारे अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होते हैं, अच्छे दिन और बुरे दिन होते हैं। परम्परागत रूप से देखें तो सरकार और एनजीओ सेक्टर के बीच का सम्बन्ध सन्दिग्ध अविश्वास से भरा हुआ रहता है। हमें इस भावना को तोड़ना है और मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऐसा सम्भव है! स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीक़ा सरकार के साथ काम करना है।

बृन्दा कृष्णा वाणी डेफ चिल्ड्रन फ़ाउंडेशन की संस्थापक-ट्रस्टी हैं। वे एक प्रशिक्षित विशेष शिक्षक और अनुभवी विकास पेशेवर हैं। उन्होंने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, ब्रिटेन से विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। वे 40 वर्षों से भी अधिक समय से विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के अधिकारों और विकास के लिए असाधारण काम कर रही हैं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय एजेंसियों तथा ग़ैर-सरकारी संगठनों के साथ काम किया है, जिनमें एडीबी (वियतनाम और कम्बोडिया), आईएफ़सी और विश्व बैंक, ब्रिटिश काउंसिल, चेशायर इंटरनेशनल, हैंडीकैप इंटरनेशनल, सेव द चिल्ड्रेन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी शामिल हैं। काम के लिए उनका दृष्टिकोण मनुष्यों के लिए समानता के अधिकार के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर आधारित है। उनसे *bcrshna@vaani.in* पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल